झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

1859/10
2-9-11

संकल्प

विषय : राज्य सरकार के समूह 'घ' के कर्मियों को ग्रेड–पे रुपये 1800/– एवं 1650/– की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय कर्मियों की भाँति पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य सुविधायें देने के बिन्दु पर सैद्धान्तिक रूप से सहमत है। षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार के तर्ज पर राज्यकर्मियों के लिये दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के द्वारा पुनरीक्षित केन्द्रीय वेतनमान लागू है। उक्त संकल्प के अनुसार समूह 'घ' के कर्मियों के लिये नई वेतन संरचना में -1S, रुपये 4440–7440/–, ग्रेड वेतन रुपये 1300/– स्वीकृत है।

2. षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार समूह 'घ' के केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये निम्न अनुशंसा की गई है :–

"While a separate running pay band, designated as -1S scale, is being recommended for posts belonging to Group 'D', however, the same shall not be counted for any purpose as no future recruitment is to be made in this grade and all the present employees belonging to Group 'D' who possess the prescribed qualifications for entry level in Group 'C', will be placed in the Group 'C' running pay band straight away with effect from 01.01.2006. Other Group 'D' employees, who do not possess the prescribed qualifications, are to be retrained and thereafter upgraded and placed in the Group 'C' running pay band. Till such time they are retrained and are redeployed, they will be placed in the -1S scale. The Commission clarifies that -1S pay scale is not regular or a permanent pay scale. Insofar as the present employees are concerned, the scale will operate only till the time all the existing Group 'D' staff is placed in the Group 'C' running pay band."

3. केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा हु–ब–हू लागू किये जाने पर राज्य में समूह 'घ' की अवधारणा समाप्त हो जायेगी। इससे राज्य में अकुशल व्यक्तियों को रोजगार के अवसर की कमी आयेगी, जो उचित नहीं होगा। इसी को ध्यान में रखते हुये वित्त विभागीय संकल्प संख्या 660/वि० दिनांक 28.02.2009 के द्वारा लागू पुनरीक्षित वेतनमान में समूह 'घ' की अवधारणा को बरकरार रखते हुये इन कर्मियों के लिये वेतनमान -1S, 4440–7440/– ग्रेड वेतन रुपये 1300/– स्वीकृत किया गया है।

Enclosed 183
2/9/11

Scanned with CamScanner

4. परन्तु, राज्य सरकार के अधीन कार्यरत समूह 'घ' के कर्मियों द्वारा ग्रेड–पे रुपये 1800/– स्वीकृत करने की मांग की जा रही है। समय–समय पर उनके द्वारा इस विषयक मांग पत्र भी विभिन्न स्तरों पर समर्पित किये गये है। बिहार सरकार द्वारा भी इन कर्मियों को ग्रेड पे रुपये 1800/– स्वीकृत करने का निर्णय ले लिया गया है। इन कर्मियों के ग्रेड–पे में संशोधन का मामला गत् विधानसभा सत्र में भी उठा था, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा इनकी माँगो पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का नियमन दिया गया था। उक्त के आलोक में समूह 'घ' के कर्मियों के ग्रेड पे में संशोधन का मामला सरकार के स्तर से विचाराधीन था।

5. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा तथा झारखण्ड राज्य में व्याप्त सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति को दृष्टिपथ में रखते हुये समूह 'घ' कर्मियों की अवधारणा को बरकरार रखते हुये उनके वेतनमान में निम्न संशोधन के साथ लागू करने का निर्णय लिया है :–

(क) दसवीं उत्तीर्ण समूह 'घ' के राज्य कर्मियों (मूल कोटि) को दिनांक 01.04.2011 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान -1S, 4440–7440/–, ग्रेड वेतन रुपये 1300/–, 1400/–, 1600/– एवं 1650/– का वेतन उत्क्रमण पे–बैंड PB-I, 5200–20200/–, ग्रेड वेतन रुपये 1800/– में अनुमान्य किया जाय।

(ख) दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) समूह 'घ' के राज्यकर्मियों को पे–बैंड -1S, ग्रेड–पे रुपये 1650/– अनुमान्य किया जाय।

6. समूह 'घ' के दसवीं उत्तीर्ण कर्मियों का मूल कोटि ग्रेड पे रुपये 1800/– किये जाने पर वैसे कर्मी, जिन्हें पूर्व से प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत है, उन्हें क्रमशः ग्रेड वेतन रुपये 1900/–, 2000/– एवं 2400/– का लाभ अनुमान्य होगा।

समूह 'घ' के दसवीं अनुत्तीर्ण (नन मैट्रिक) कर्मियों का मूल कोटि ग्रेड पे रुपये 1650/– किये जाने पर वैसे कर्मी, जिन्हें पूर्व से प्रथम ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०, द्वितीय ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी० एवं तृतीय एम०ए०सी०पी० स्वीकृत है, उन्हें क्रमशः ग्रेड वेतन रुपये 1800/–, 1900/– एवं 2000/– का लाभ अनुमान्य होगा।

7. उत्क्रमित वेतनमान देने के फलस्वरूप वर्त्तमान वरीयता सूची प्रभावित नहीं होगी।

8. भविष्य में इस समूह के पद की नियुक्ति की शैक्षणिक योग्यता दसवीं उत्तीर्ण होगी।

9. ग्रेड वेतन रुपये 1800/– अथवा 1650/– में उत्क्रमण के फलस्वरूप समूह 'घ' के कर्मियों के पद एवं कार्य के प्रकृति में कोई परिवर्तन अनुमान्य नहीं होगा, अर्थात् समूह 'घ' के सभी कर्मी पूर्व की भाँति अपने कार्य करते रहेंगे।

Scanned with CamScanner

10. यह उत्क्रमण दिनांक 01.04.2011 से प्रभाव होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/एस०–4(वे०पु०)–04/2011...../राँची, दिनांक :.....

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को इसे झारखण्ड राजपत्र में प्रकाशित करने एवं उसकी 100 अतिरिक्त प्रतियाँ वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को भी उपलब्ध कराने हेतु अग्रसारित।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/एस०–4(वे०पु०)–04/2011...../राँची, दिनांक :.....

प्रतिलिपि : महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(सुखदेव सिंह)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक : 6/एस०–4(वे०पु०)–04/2011.1859(4) राँची, दिनांक :2-9-11

प्रतिलिपि : सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला लेखा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुखदेव सिंह) 25/8
सरकार के सचिव

Scanned with CamScanner